

डिक्री बमूकदमें इत्तादाई  
( आदेश 21 नियम 6.7 जात्ता दीवानी )  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर  
पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 142/2024

वादी

1. प्रतापसिंह पुत्र विरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी छापड़ा तहसील डेह

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ईश्वरसिंह पुत्र विरेन्द्रसिंह
2. मंगोजकंवर पत्नी विरेन्द्रसिंह
3. कंचन कंवर पुत्री विरेन्द्रसिंह
4. ओमकंवर पुत्री किशोरसिंह
5. गजेन्द्रसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह
6. प्रेमकंवर पुत्री किशोरसिंह
7. पाबूसिंह पुत्र किशोरसिंह
8. महेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण छापड़ा तहसील डेह
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

1. वादी 1 कि ओर से श्री गोविन्दराम ढाका एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट



--:: डिक्री आदेश ::--

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी प्रतापसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः ईश्वरसिंह व मंगोजकंवर के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 90 रकबा 3.5046 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 3 से 8 क्रमशः कंचन कंवर, ओमकंवर, गजेन्द्रसिंह, प्रेमकंवर, पाबूसिंह, महेन्द्रसिंह के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
3. उक्त खसरा नं में से बैंक के रहन खसरो पर रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

सहायक कलक्टर  
(एच.डी.ओ.) जायल